दिनांक 23.11.2022 को उपायुक्त गिरिडीह की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स के बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त, गिरिडीह।
2. पुलिस उपाधीक्षक, (मु0) गिरिडीह।
3. अपर समाहर्ता, गिरिडीह।
4. वन प्रमण्डल पदाधिकारी (पूर्वी) गिरिडीह।
5. वन प्रमण्डल पदाधिकारी (पश्चिमी) गिरिडीह।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह।
7. जिला खनन पदाधिकारी, गिरिडीह।
8. सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला।
9. सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, गिरिडीह।
10. क्षेत्रिय पदाधिकारी, प्रदूषण नियत्रण पर्षद, हजारीबाग।
11. परियोजना पदाधिकारी, सी0सी0एल0 गिरिडीह।

जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 23.11.2022 को उपायुक्त गिरिडीह की अध्यक्षता में आहूत की गई है। बैठक की कार्यवाही उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुये शुरू की गई। विगत टास्क फोर्स की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कृत कार्रवाई की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त के पृच्छा पर जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत टास्क फोर्स की बैठक के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुपालन में औचक निरीक्षण के क्रम में दिनांक 15.10.2022 से 23.11.2022 तक अवैध उत्खनन/परिवहन के मामले में पत्थर खनिज के 05 वाहन एवं खनिज बालू से 41 कुल 46 वाहनों को जब्त किया गया। जब्त वाहनों में से खनिज पत्थर के 05 वाहनों से 2,35,000.00रूपये एवं खनिज बालू के 39 वाहनों से 1,94,000.00रूपये कुल 4,29,000.00रूपये जुर्माना राशि की वसूली की गई है। साथ ही विभिन्न स्थानों पर खनिज कोयला में 03 तथा खनिज बालू में 05 कुल 08 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही खनिज बालु का अवैध परिवहन करते 01 वाहन को तिसरी थाना में तथा करते 01 वाहन को गिरिडीह मु0 थाना में सुरक्षित अभिरक्षण में रखा गया है। तत्पश्चात अवैध खनन/परिवहन के रोकथाम के लिये निम्नांकित प्रस्ताव अंकित किया गया ।

1. पत्थर एवं क्शर :–

उपायुक्त द्वारा अवैध खनन/परिवहन की अवैध खनिकर्म की पूर्णतः रोकथाम हेतू चर्चा की गई। अद्योहस्ताक्षरी ने उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुये विभागीय स्तर पर अवैध खनिकर्म पर पूर्णतः अंकुश लगााने के लिये आहूत विभागीय बैठक एवं प्राप्त निदेशों के आलोक में वृहत् कार्ययोजना तैयार कर लगातार छापेमारी करने एवं अवैधकर्ताओं पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतू निदेशित किया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा संचालित क्शरों एवं खनन पट्टों के अवैध संचालन पर अंकुश लगाने का निदेश देते हुये कहा गया कि इस पर विशेष ध्यान रखें कि जिले में क्शरों का संचालन वैध अनुज्ञप्ति तथा प्रदुषण विभाग से सी0टी0ओ0 आदि प्राप्त करके ही हो।

विगत दिनों उदनाबाद में की गई कार्रवाई के संबंध में कृत कार्रवाई की चर्चा की गई है। इस संदर्भ में कहा गया कि यदि अवैध उत्खनन/परिवहन एवं भण्डारण

की सूचना किन्ही को मिलती है, तो स्वतः संज्ञान लेना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही टास्क फोर्स के WhatsApp Group में डालेंगे।

अनुमण्डल पदाधिकारी गिरिडीह सदर द्वारा बताया गया कि निदेशानुसार दिनांक 13.10.2022 एवं 18.10.2022 को उदनाबाद में संचालित क्वार्टज/क्वार्टजाईट 08 फैक्टरियों में की गई औचक छापेमारी कर फैक्ट्री को सील किया गया है। जांच के कम में पाये गये अनियमितताओं का उल्लेख करते हुये जांच प्रतिवेदन कार्यालय पत्रांक 1026 दिनांक 14.11.22 द्वारा समर्पित की गई है। उल्लेखित बिन्दुओं का निराकरण संबंधित विभाग से करने/करवाने हेतू पत्राचार की जा रही है। उपायुक्त द्वारा बताया गया कि अवैध खनन/भण्डारण पर कार्रवाई करने हेतु गोपनीयता बनाये रखते हुये कार्य कार्य करें। निदेश दिया गया कि सभी अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर अवैध खनन/परिवहन एवं भंडारण के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(**अनुपालनार्थ** :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी (पूर्वी एवं पश्चिमी), संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह, सभी अंचलाधिकारी, गिरिडीह जिला, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, हजारीबाग।)

2. <u>बालू</u> :–

वर्तमान समय में खनिज बालू के अवैध परिवहन पर रोकथाम की चर्चा के कम में बताया गया कि वर्तमान में जिला अन्तर्गत झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0 JSMDC द्वारा बालूघाटों का संचालन किया जाना है, जो प्रक्रियाधीन है। उक्त के आलोक में पूर्व स्वीकृत JSMDC को MOEF Guidelines & CC, Sustainable Sand Mining Guideline 2016 एवं Monitoring for Sand Mining, 2020 का अनुपालन करते Sand DSR को Update किया जाना है। जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा निर्गत कार्यादेश के आलोक में गिरिडीह जिला हेतु M/s Sigma R.D. Consultants Private Limited द्वारा बालू खनिज का DSR तैयार कर सहायक निदेशक भूतत्व, जिला भूतात्विक कार्यालय, कोडरमा के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है, जिसे जिलास्तरीय समिति द्वारा Vetting किए जाने के उपरांत SEIAA, Ranchi को अनुमोदन हेतु भेजा जाना है। बताया गया कि उक्त के आलोक में भवदीय कार्यालय, गिरिडीह (खनन शाखा) के आदेश ज्ञापांक 1051/एम0, दिनांक 14.11.2022 द्वारा उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उपायुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समिति द्वारा दिनांक 18.11.2022 को बैठक आहूत कर प्रस्तुत DSR की Vetting किया गया। Vetting के कम में प्रस्तुत DSR में जाने के कम में कई त्रुटियां पाई गई है, जिससे अवगत कराते हुये त्रुटियों के निराकरण हेतू M/s Sigma R.D. Consultants Private Limited को कार्यालय पत्रांक 1062 एम0 दिनांक 18.11.2022 द्वारा पत्र निर्गत की गई है।

वर्तमान में जब तक घाटों की बंदोबस्ती नहीं हो जाती है, तब तक अवैध परिवहन/उठाव पर सघन निगरानी रखते हुये बालू उठाव की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करने हेतू सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

(अनुपालनार्थ :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी (पूर्वी एवं पश्चिमी), संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, संबंधित अंचलों के अंचलाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी गिरिडीह जिला।

3.कोयला :–

उपायुक्त द्वारा पृच्छा पर परियोजना पदाधिकारी, सी0 सी0 एल0 द्वारा बताया गया कि जिला प्रशासन की मदद से अवैध खंतों की डोजरिंग की जा रही है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022–23 में सी0सी0एल0, गिरिडीह एवं जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा कुल 1145 खंतों की डोजरिंग की गई है।

3.अन्यान्य :–

उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि अवैध खनन एवं प्रेषण की रोकथाम हेतू सतत् कार्रवाई करने, 31.03.22 को समाप्त खनन पट्टों पर समुचित निगरानी रखने तथा संचालन की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करने हेतू संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। पूर्व की बैठकों में दिये गये निर्देश के आलोक में प्रदूषण विभाग द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, परंतु कार्रवाई संबंधी सूचना अप्राप्त है। उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि Water Act तथा Air Act के तहत् कार्रवाई करते हुये को सूचित करें।

(**अनुपालनार्थ** :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी (पूर्वी एवं पश्चिमी), संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह, सभी अंचलाधिकारी, गिरिडीह जिला, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, हजारीबाग।)

अन्त में अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु सतत् कार्रवाई करने का निर्देश देते हुये धन्यवाद ज्ञापन के साथ आहूत बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

26/11/22
जिला खनन पदाधिकारी
गिरिडीह।

26/11/22
उपायुक्त,
गिरिडीह।

ज्ञापांक 1106/एम0, गिरिडीह दिनांक 26.11.22

प्रतिलिपि :– 1. सचिव/आयुक्त खान एवं भूतत्व विभाग झारखण्ड राँची ।
2. आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग।
3. टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

26/11/22
जिला खनन पदाधिकारी
गिरिडीह।

26/11/22
उपायुक्त,
गिरिडीह।